रांची में, बुधवार, दिनांक 20 मई, 2020 को अपराह्न 3:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित रहे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

1. केन्द्र प्रायोजित योजना "उग्रवाद प्रभावित (LWE) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना" के अन्तर्गत रांची, खूँटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका एवं गिरिडीह में एक–एक औ०प्र०सं० के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में केन्द्रांश रु0 20,65,75,560/– (बीस करोड़ पैसठ लाख पचहत्तर हजार पांच सौ साठ) एवं राज्यांश रु0 13,77,17,040 (तेरह करोड़ सतहत्तर लाख सतरह हजार चालीस) मात्र इस प्रकार कुल रु0 34,42,92,600/– (चौतीस करोड़ बियालीस लाख बानबे हजार छः सौ) के व्यय की स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

1. **स्वीकृत। साथ ही प्रशासी विभाग प्रस्तावित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) के संचालन हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करे।**

विधि विभाग

2. न्यायिक अकादमी, झारखण्ड हेतु 01 (एक) अपर निदेशक–सह–वरीय संकाय सदस्य, 02 (दो) उप निदेशक–सह–संकाय सदस्य एवं 01 (एक) कनीय संकाय सदस्य अर्थात कुल 04 (चार) पदों का संविदा के आधार पर सृजन के संबंध में।

2. **स्थगित।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य)

3. पंचम झारखण्ड विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र (दिनांक 28.02.2020 से 23.03.2020 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।

3. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

4. कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रादुर्भाव की रोकथाम हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा टेस्टिंग किट, इलाज हेतु सामग्री एवं दवा की आपूर्ति हेतु चिन्हित कम्पनियों एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार एम०आर०पी० पर अन्य राज्यों के आपूर्तिकर्त्ता एजेंसियों से क्रय हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत कार्यहित में राज्य सरकार द्वारा किए गए मनोनयन की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

(कार्योपरांत स्वीकृति)

4. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

5. ई–कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के जिला न्यायालयों एवं झारखण्ड उच्च न्यायालय हेतु सृजित सिस्टम ऑफिसर के क्रमशः 22 एवं 01 कुल 23 पदों के दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक के लिए अवधि विस्तार के संबंध में।

5. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

6. राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला, नामकुम, रांची में अनुबंध के आधार पर कार्यरत खाद्य विश्लेषक श्री चतुर्भुज मीणा का अनुबंध अवधि विस्तार के संबंध में।

6. **इस शर्त्त के साथ प्रस्ताव स्वीकृत की प्रशासी विभाग अविलम्ब नियमित नियुक्ति की कार्रवाई करे।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

7. पलामू जिलान्तर्गत अंचल–सदर मेदिनीनगर के ग्राम–पोखराहा खुर्द, थाना सं0–205, खाता सं0–85, प्लॉट सं0–1375, कुल रकबा–10.00 एकड़ गैरमजरूआ जंगल–साखु भूमि (अनुलग्नक–I), केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को निःशुल्क भू–हस्तांतरण करने के संबंध में। *7.* **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

8. NABARD-RIDF-XXI के तहत 29 जलछाजन परियोजनाओं को दो वर्ष की अवधि विस्तार के संबंध में। *8.* **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

9. विधायक योजना अन्तर्गत COVID-19 के दौरान आर्थिक समस्याओं का सामना करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता हेतु प्रावधान के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–1346, दिनांक 27.04.2020 पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। *9.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

ग्रामीण विकास विभाग

10. विधायक योजना अंतर्गत DC विपत्र लम्बित रहते हुए भी चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में आवंटित राशि में से रु0 25.00 लाख की निकासी की स्वीकृति के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–1349, दिनांक 27.04.2020 पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। *10.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

11. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य के लिए रु0 84.95 करोड़ की स्वीकृति के संबंध में। *11.* **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

12. ग्रामीण विकास विभाग (झारखण्ड राज्य जलछाजन मिशन) द्वारा RIDF-XXV के तहत् 29–जलछाजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रु0 22923.21 लाख के ऋण आहरण की स्वीकृति के संबंध में। *12.* **स्वीकृत।**

योजना–सह– वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

13. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा RIDF-XXV के तहत् 06–ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रु0 10468.38 लाख के ऋण आहरण की स्वीकृति के संबंध में। *13.* **स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)

14. वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम एवं बचाव संबंधी कार्यों के लिए झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) से कुल राशि 100,00,00,000/– (एक सौ करोड़) मात्र अग्रिम स्वीकृति के संबंध में। *14.* **स्वीकृत।**

योजना–सह– वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

15. वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *15.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

योजना–सह– वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

16. Jharkhand Economic Survey 2019-20 को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर सहमति। *16.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

ह0/–
(सुखदेव सिंह)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड